छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 23 मार्च, 2023 (चैत्र 2, 1945)

समय 11:00 बजे दिन

की अनुपूरक कार्यसूची

पद क्रम 5. शासकीय विधि विषयक कार्य के पश्चात् नवीन पदक्रम 6, 7 तथा 8 को निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ा जाये :–

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 9 अप्रैल, 2019 को जिला–दंतेवाड़ा के अंतर्गत श्यामगिरी मार्ग के मध्य, क्रिकेट ग्राउंड के पास नक्सलियों द्वारा किये गये बारूदी सुरंग विस्फोट से श्री भीमा मण्डावी, विधायक, दंतेवाड़ा तथा अन्य चार सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में लोक निर्माण/मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनाई गई सड़क अत्यंत जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, जिला बालोद, ग्राम पैरी में केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ नहीं होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में अवैध प्लाटिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, नगर पालिक निगम, धमतरी में मल्टी सिटी लैब का टेंडर निरस्त किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(6) श्री धरमलाल कौशिक, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, प्रदेश में हाथियों के हमले से जन–धन की हानि होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, रायगढ़ जिले में भू–अर्जन से प्रभावित कृषकों को पुनर्वास एवं पुरःस्थापन योजना का लाभ नहीं मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायपुर स्थित राजधानी विहार आवासीय कॉलोनी की आंतरिक मुख्य सड़क को प्रस्तावित मास्टर प्लान में सार्वजनिक रोड दिखाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले की बलौदा नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) सर्वश्री ननकीराम कंवर, केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, प्रदेश में दवा कम्पनियों एवं व्यापारियों द्वारा जी. एस. टी. का भुगतान न कर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने की ओर वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर शहर में सीवरेज परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर जिला मुख्यालय मड़वा में स्थापित लहरी पावर प्लांट के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण फैलाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, विभिन्न उद्योगों द्वारा भू–अर्जन की राशि जमा नहीं कराये जाने से किसानों को क्षति होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य, पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोघर के सरपंच एवं सचिव द्वारा शासकीय राशि की अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले में उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के टेंडर में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मिलने वाले पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि में कटौती किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, प्रदेश के प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नति एवं वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित रखे जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(20) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, राजधानी, रायपुर के शांति नगर स्थित सिंचाई कॉलोनी में शासकीय आवासों पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ नहीं मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य, सूरजपुर जिले के निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. के तहत् फीस की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, अम्बिकापुर द्वारा पहाड़ी कोरवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु दी गई राशि में अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, अकलतरा विकासखण्ड अंतर्गत न्यूवोको विस्टास संयंत्र संचालन में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा, तहसील अकलतरा के ग्राम नरियरा में के.एस.के. महानदी पॉवर संयंत्र द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा तथा उनके हितों का ध्यान नहीं रखे जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, राज्य के श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रम कार्ड का नवीनीकरण नहीं होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री चंदन कश्यप, सदस्य, जिला नारायणपुर की जनपद पंचायत नारायणपुर एवं ओरछा में कराए जा रहे कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम नटवरपुर, चक्रधरपुर एवं धूमाबहाल में राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, प्रदेश के बिलासपुर और भिलाई नगर निगमों में निजी कम्पनी स्पायरों द्वारा टेंडर की शर्त के अनुसार टैक्स वसूल नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, जांजगीर–चांपा एवं सक्ती जिले में कम्पनियों द्वारा अवैध रूप से राखड़ डाले जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(31) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, राज्य सरकार द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में ऑनलाईन व्यवस्था में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में किसानों को उनकी फसलों व अन्य उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, प्रदेश में डी.एम.एफ. मद से गौठानों में शेडनेटों के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, जिला सक्ती की नगर पंचायत नया बाराद्वार में मकान की खरीदी रजिस्ट्री के बिना कराये जाने से शासन को हानि होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, अनुसूचित जाति की महिला को वसीयत में प्राप्त भूमि से संबंधित रिकॉर्ड को भू–माफियाओं द्वारा राजस्व कार्यालय से गायब किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले के ग्राम नरियरा में के.एस.के. महानदी पॉवर संयंत्र द्वारा श्रमिकों की औद्योगिकी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, राजधानी रायपुर सेजबहार के हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में पेयजल की समस्या होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, रायपुर स्थित वॉल्टेयर रेल लाईन में डी. आर. एम. कार्यालय के सामने अंडर ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, वर्ष 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना से वंचित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में सोनोग्राफी एवं जांच की सभी मशीनें बंद होने की ओर स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, राजनांदगांव नगर पालिका निगम द्वारा भवन निर्माण की आवासीय अनुज्ञा को बदलते हुए व्यावसायिक अनुज्ञा जारी किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, गरियाबंद जिले में बिना प्रशासकीय स्वीकृति के अग्निशमन यंत्र क्रय किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

8. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, जांच समिति, प्रस्ताव करेंगे कि– ''कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित किया जाने और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति'' का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

(2) श्री संतराम नेताम, सभापति, जांच समिति, प्रस्ताव करेंगे कि– ''शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति'' का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

(3) श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि– विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 23 मार्च,2023